राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17047/2022

जुबैर भाटी पुत्र अनवर उमर भाटी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी छीपा स्ट्रीट, जामा मस्जिद के पास, कुचामन सिटी, जिला नागौर।----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर अपने रजिस्ट्रार जनरल, जोधपुर के माध्यम से।

2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

3. मोनिका पुत्री श्री रमेश कुमार बिश्नोई, निवासी घड़साना 335707, जिला गंगानगर, राजस्थान। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री विकास बलिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री निशांत बोरा, अधिवक्ता द्वारा सहायता। &

श्री अशोक चौधरी, सलाहकार।

उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 के लिए: डॉ. सचिन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता। असिस्टेड श्री चयन बोथरा, सलाहकार द्वारा। & श्री सम्यक दलाल, सलाहकार।

माननीय डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी

माननीय श्रीमान. जस्टिस मुन्नुरि लक्ष्मण

<u>आदेश</u>

रिपोर्ट योग्य

<u>11/07/2024</u>

1) याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थना की गई है:

(i) याचिकाकर्ता के संबंध में दिनांक 30/08/2022 (अनुलग्नक 8) के विवादित परिणाम को रद्द करने और अलग रखने का निर्देश जारी किया जाए और परिणाम के साथ संलग्न नोट संख्या 6 को अवैध घोषित किया जाए। इसके अलावा, प्रतिवादी को निर्देश जारी किया जाए कि वह याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश राजस्थान न्यायिक सेवा-सिविल न्यायाधीश 2021 के पद पर नियुक्ति के लिए करे, साथ ही सभी परिणामी लाभ भी प्रदान किए जाएं;

(ii) वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादी को निर्देश जारी करें कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 01/09/2022 (अनुलग्नक 15) के अभ्यावेदन पर दो सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय ले, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी दे।

(iii) याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य आदेश भी पारित किया जा सकता है।

2) मामले का संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में अपना बी.बी.ए., एल.एल.बी. (ऑनर्स) कोर्स पूरा किया और अपने बैच में टॉपर रहा तथा 8.3 संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) प्राप्त किया। याचिकाकर्ता को अपने बैच में प्रथम रैंक-धारक होने के कारण स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

2.1 प्रतिवादियों ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (जिसे आगे "नियम 2010" कहा जाएगा) के अनुसार सिविल जज कैडर-2021 में भर्ती के लिए 22.07.2021 को विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता ने ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के तहत अपना फॉर्म भरा। उसने अपने फॉर्म में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के लंबित होने का खुलासा किया। प्रतिवादियों द्वारा परीक्षा आयोजित की गई और याचिकाकर्ता को सिविल जज कैडर-2021 में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया।

2.2 इसके बाद याचिकाकर्ता को 22.08.2022 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार के बाद सिविल जज कैडर की भर्ती का परिणाम 30.08.2022 को घोषित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का क्रमांक 152 था, क्योंकि उसने 166.5 अंक प्राप्त किए थे और वह भर्ती के लिए योग्य था। ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के लिए कट-ऑफ 163 थी और मेरिट के आधार पर याचिकाकर्ता भर्ती होने का हकदार था। हालांकि, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को आपराधिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया।

2.3 याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 420, 406, 120-बी, 341 और 384 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन कुचामन सिटी, नागौर में एफआईआर संख्या 5/2021 दर्ज थी। एफआईआर में लगाए गए आरोप हाईटेक शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी, जिला नागौर के नाम से पारिवारिक शैक्षणिक

संस्थान से संबंधित हैं, जिसमें आधी हिस्सेदारी भंवर सिंह नामक व्यक्ति को बेची गई थी, जो शैक्षणिक संस्थान चलाने के संबंध में दोनों पक्षों के बीच विवाद के कारण शिकायतकर्ता बन गया। उसी लेन-देन से उत्पन्न विवाद आगे चलकर पुलिस स्टेशन कुचामन सिटी में दर्ज एक और एफआईआर संख्या 249/2021 में परिणत हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा फॉर्म भरते समय उपरोक्त अपराधों को नहीं छिपाया गया था।

3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास बालिया ने श्री निशांत बोरा, अधिवक्ता और श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता की सहायता से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक अत्यधिक मेधावी छात्र है, जो सिविल जज कैडर में नियुक्ति के लिए योग्यता के आधार पर योग्य था, लेकिन उपरोक्त एफआईआर के आधार पर उसे नियुक्ति नहीं दी गई। 3.1 याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि दोनों एफआईआर याचिकाकर्ता के परिवार और शिकायतकर्ता के बीच विवाद के कारण दर्ज की गई थीं, जो स्कूल चलाने के लिए संपत्ति को साझा करने के लिए बिक्री-सह-अनुबंध समझौते द्वारा सहमत हुए थे। उक्त समझौते से पता चलता है कि स्कूल की 50% भूमि और संपत्ति याचिकाकर्ता के परिवार द्वारा नियंत्रित की जानी थी, जबकि अन्य 50% शिकायतकर्ता-पक्ष द्वारा नियंत्रित की जानी थी। याचिकाकर्ता मूल समझौते का पक्षकार नहीं था, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता पक्ष को स्कूल चलाने के लिए सोसायटी में 50% सदस्य मिले। याचिकाकर्ता, जो उपरोक्त घटनाओं से दूर रहा, को उसके दादा के निधन पर सोसायटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जो सोसायटी के सभी मौजूदा सदस्यों की सहमति से सोसायटी के अध्यक्ष थे। आगामी संपत्ति विवाद के परिणामस्वरूप उपरोक्त एफआईआर हुई।

3.2 याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक विशुद्ध सिविल और संविदात्मक विवाद को, याचिकाकर्ता के परिवार पर दबाव

बनाने के उद्देश्य से, एक आपराधिक मामले में बदल दिया गया और गहन जांच के बाद, एफआईआर संख्या 5/2021 को 27.02.2024 को याचिकाकर्ता के खिलाफ नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट में परिणत किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि एक अन्य एफआईआर संख्या 249/2021 भी 26.11.2021 को नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट में परिणत हुई।

3.3 याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अत्यधिक मेधावी होने और सिविल जज कैडर में नियुक्ति के उद्देश्य से दिनांक 22.07.2021 के विज्ञापन से उत्पन्न परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित होने का दुख झेल रहा है।

3.4 याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान विज्ञापन और विशेष रूप से खंड 14 की ओर आकर्षित किया है, जो नियुक्ति के लिए अयोग्यता से संबंधित है। विज्ञापन का खंड 14(x) प्रासंगिक भाग है, जो वर्तमान मामले में लागू होता है, और इस प्रकार है:

"14(ग) यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था या किया गया है (If he was or is convicted for any offence involving moral turpitude) या किसी परीक्षा या साक्षात्कार मे ं सम्मिलित होने से किसी उच्च न्यायालय या संघ लाक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित (Debarred) या निरर्हित (Disqualified) किया गया है।"

4) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अयोग्यताएं नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि या किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अयोग्यता से संबंधित हैं, जिसने किसी व्यक्ति को परीक्षा में बैठने से वंचित या अयोग्य घोषित किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विज्ञापन के पैराग्राफ 14 में उल्लिखित कोई भी अयोग्यता या कोई

अन्य अयोग्यता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।

4.1 याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान 2010 के नियम 12 की ओर आकर्षित किया है, जिसे 20.08.2020 तक संशोधित किया गया है, जिसमें नियुक्ति के लिए अयोग्यता का उल्लेख किया गया है और विशेष रूप से नियम 12 के उप-नियम (सी), जो इस प्रकार है:

> "(ग) यदि वह नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या है या किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा या साक्षात्कार में बैठने से स्थायी रूप से वंचित या अयोग्य घोषित किया गया है;"

5) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विज्ञापन में दी गई उपरोक्त शर्तें 2010 के नियम 12(सी) के बिल्कुल समान है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र (अनुलग्नक-आर/1/1) की ओर भी आकर्षित किया है, जिसमें चरित्र सत्यापन से संबंधित बात कही गई है। उक्त परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "चरित्र। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में रोजगार के लिए योग्य बनाए। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा प्राप्त की हो तथा ऐसे दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन की तिथि से छह महीने से अधिक पहले दो जिम्मेदार व्यक्तियों से लिखे गए हों, जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित न हों तथा उससे संबंधित न हों।

(1) न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के लिए अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र देने से इंकार करना आवश्यक नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा यदि उनमें कोई नैतिक अधमता या हिंसा के अपराधों से संबंध अथवा किसी ऐसे आंदोलन से संबंध शामिल नहीं है, जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसक तरीकों से उखाड़ फेंकना है, तो केवल दोषसिद्धि को अयोग्यता नहीं माना जाना चाहिए।

(2) भूतपूर्व कैदी, जो जेल में अपने अनुशासित जीवन और उसके बाद के अच्छे आचरण से पूरी तरह से सुधरे हुए साबित हुए हैं, उनके साथ सेवा में रोजगार के उद्देश्य से उनके पिछले दोषसिद्धि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग नैतिक अधमता या हिंसा से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं, उन्हें अधीक्षक, पश्चात देखभाल गृह या यदि किसी विशेष जिले में ऐसे गृह नहीं हैं, तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक से इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पूरी तरह से सुधरे हुए माना जाएगा।

(3) नैतिक अधमता या हिंसा से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को अधीक्षक, पश्चात देखभाल गृह या यदि किसी विशेष जिले में ऐसे गृह नहीं हैं, तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक से जेल महानिरीक्षक द्वारा समर्थित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे रोजगार के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वे जेल में अपने अनुशासित जीवन और पश्चात देखभाल गृह में अपने बाद के अच्छे आचरण से पूरी तरह से सुधरे हुए साबित हुए हैं।

6) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 04.12.2019 के उक्त परिपत्र का भाग भी इस प्रस्ताव से संबंधित है कि दोषसिद्धि या दोषमुक्ति की सीमित प्रासंगिकता होगी, लेकिन उम्मीदवार के चरित्र की अधिकतम प्रासंगिकता होनी चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी के लिए उम्मीदवार के चरित्र का आकलन करना खुला होगा कि क्या यह प्रश्नगत पद की आवश्यकता के अनुरूप है। परिपत्र में किए गए सूत्रीकरण, जो आमतौर पर नियुक्ति प्राधिकारियों के विचार के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, भी निर्धारित किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित अयोग्यता और योग्यता दोनों के लिए सूत्रीकरण नीचे दिए गए हैं:

1. ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमे ं नियुक्ति हेतु अपात्रता मानी जानी चाहिएः—यदि किसी भी अभ्यर्थी के विरूद्ध निम्न मे ं से किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण अन्वेक्षणाधीन/न्यायालय मे ं विचाराधीन (**under trial**) है अथवा दोषसिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है, तो उसे राज्य के अधीन सेवाओ ं/पदो ं पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाना चाहिएः—

(**i**) नैतिक अधमता यथा छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध मे ं अन्तर्वलितता (**involvement**) हो।

(**ii**) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) मे ं यथापरिभाषित अवैध व्यापार मे ं अन्तर्वलितता हो ।

(**iii**) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.104) मे ं यथापरिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार मे ं अन्तर्वलितता हो ।

(**iv**) नियोजित हिंसा या राज्य के विरूद्ध ऐसे किसी अपराध मे ं अन्तर्वलितता हो, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) के अध्याय 6 मे ं वर्णित है।

(**v**) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 मे ं यथावर्णित अपराधो ं मे ं अंतर्वलितता हो ।

(**vi**) भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध मे ं अंतर्वलितता हो।

(**vii**) भारतीय दंड संहिता की धारा 498 । (स्त्रियो ं के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार—दहेज) के अपराध मे ं अंतर्वलितता हो।

(**viii**) अजा/अजजा अधिनियम 1989 के तहत अपराध मे ं अंतर्वलितता हो।

(**ix**) लैंगिग अपराधो ं से बालको ं का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 के तहत अपराध मे ं अन्तर्वलितता । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकार के अपराधो ं से संबंधित कोई भी सूचना जानबूझकर छिपाने वाले अभ्यर्थियो ं को भी नियुक्ति हेतु अपात्र माना जाएगा।

2. ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमे ं अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाना चाहिएः–

(i) जिन अभ्यर्थियो ं को आपराधिक प्रकरण मे ं अन्वेषण मे ं दोषी नहीं पाया गया तथा संबंधित भर्ती मे ं परीक्षा परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर अन्वेषणोपरांत एफ.आर न्यायालय मे ं प्रस्तुत की जा चुकी हो।

(ii) दोषमुक्ति के मामलो ं मे ं, विभाग मे ं इस संबंध मे ं गठित समिति जिसमे ं एक पुलिस अधिकारी भी सदस्य होगा, अभ्यर्थी के पूर्ववृत (ntecedents), आरोपो ं की गहनता एवं दोषमुक्ति का आधार, अर्थात क्या दोषमुक्ति सम्मानजनक रूप से प्रदान की गई है अथवा संदेह के लाभ/समझौते के आधार पर प्रदान की गई है, आदि का समुचित परीक्षण कर, अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के संबंध मे ं निर्णय लेगी।

(iii) अभ्यर्थियो ं के ऐसे प्रकरण जिनमे ं न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया हो। (दोषसिद्धि किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं/राजकीय सेवा/भावी जीवन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं)।

(iv) अभ्यर्थियो ं के ऐसे प्रकरण जिनमे ं दोषी करार दिया जाकर किशोर न्याय (बालको ं की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2005 की धारा 24(प) का लाभ प्रदान किया गया हो।

7) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अयोग्य उम्मीदवारों की श्रेणी में नहीं आता है और इसके बजाय, 04.12.2019 के परिपत्र में निर्धारित अयोग्यताओं के कारण उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आपराधिक पूर्ववृत्त का आकलन विशेष आरोपों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ आपराधिक मामले के परीक्षण/आरोप पत्र/अंतिम आदेश के आधार पर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां न तो परीक्षण शुरू हुआ और न ही कोई दोषसिद्धि आदेश था और यहां तक कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप पत्र भी नहीं दिया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एक आरोप था, जिसके बाद गहन जांच की गई और जांच का परिणाम यह था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं हुआ।

8) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2019) 17 एससीसी 696 में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

5. हमारे देश में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। प्रत्येक विज्ञापन में सीमित संख्या में रिक्तियों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन यह राहत प्रदान करने के लिए सहानुभूति जगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जहां उम्मीदवार की साख योग्यता के बावजूद उपयुक्तता के बारे में गंभीर प्रश्न उठा सकती है। निस्संदेह, न्यायिक सेवा अन्य सेवाओं से बहुत अलग है और अन्य सेवाओं के लिए उपयुक्तता का मापदंड न्यायिक सेवा के लिए समान नहीं हो सकता है। लेकिन न्यायिक सेवा में नियुक्ति से इनकार करने के लिए नैतिक अधमता का कोई यांत्रिक या बयानबाजी नहीं हो सकती है। बहुत कुछ मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को सुधार करने, अतीत से सीखने और आत्म-सुधार द्वारा जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सभी विचारों के बावजूद, पिछले आचरण को उम्मीदवार के गले में बोझ बनाना हमेशा न्याय नहीं हो सकता है। हालांकि, बहुत कुछ मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करेगा। .....

हमारी राय में, हमारे सामने प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कोई भी उचित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अपीलकर्ता का पूर्ववृत्त और चरित्र ऐसा है कि वह न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है। वर्तमान प्रकृति का कथित एकल दुस्साहस या दुराचार, यदि ऐसा माना जा सकता है, तो अपीलकर्ता को नियुक्ति से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जब उसे अन्य सभी पहलुओं और मापदंडों पर नियुक्ति के लिए योग्य पाया गया हो.....

9) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम गजेंद्र नारायण पाटीदार एवं अन्य में पारित निर्णय का हवाला दिया है, जो 2022 एससीसी ऑनलाइन राज 888 में रिपोर्ट किया गया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

31. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आपराधिक मामले का आरोप-पत्र जिसमें प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया है, प्रथम दृष्टया उसकी संलिप्तता को उचित नहीं ठहराता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे मामले में केवल इसलिए आरोप-पत्रित किया गया है क्योंकि वह श्रीमती कैलाश का भाई है, जिसने अपने पति रतन लाल पुत्र जगदीश ओड (एफआईआर संख्या 387/2012 में शिकायतकर्ता) के खिलाफ एफआईआर संख्या 35/2012 दर्ज की थी।

32. विद्वान एकल पीठ ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर भी विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन आरोपों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो रिट याचिकाकर्ता को सरकारी सेवा में प्रवेश करने से वंचित कर सके और हमारी राय में यह सही है।

33. एफआईआर और आरोप-पत्र (सुप्रा) में दिए गए आरोपों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, हम विद्वान एकल पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि प्रतिवादी को आपराधिक मामले (सुप्रा) में उसकी पूरी तरह से अनुचित भागीदारी के आधार पर सरकारी सेवा में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।

10) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रविन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया है, जो (2024) 5 एससीसी 264 में रिपोर्ट किया गया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"32. कार्यालय की प्रकृति, आपराधिक मामले का समय और प्रकृति; दोषमुक्ति के निर्णय का समग्र विचार; आवेदन/सत्यापन प्रपत्र में प्रश्नों की प्रकृति; चरित्र सत्यापन रिपोर्ट की विषय-वस्तु; आवेदन करने वाले व्यक्ति का सामाजिक-आर्थिक स्तर; उम्मीदवार के अन्य पूर्ववृत्त; विचार की प्रकृति और निरस्तीकरण/समाप्ति आदेश की विषय-वस्तु कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें उपयुक्तता का निर्णय करने और आदेशित की जाने वाली राहत की प्रकृति का निर्धारण करने में न्यायिक निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए।"

11) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि न तो वैधानिक प्रावधान, न ही विज्ञापन और न ही परिपत्र में ऐसी कोई शर्त रखी गई है जिसके तहत याचिकाकर्ता को भर्ती से वंचित किया जा सके।

12) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने अधिवक्ता श्री चयन बोथरा और अधिवक्ता श्री सम्यक दलाल की सहायता से कहा कि विवादित पद संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है और सिविल जज कैडर का है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता ताकि ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जा सके जिनका आपराधिक इतिहास हो। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सिविल जज कैडर के पद पर नियुक्ति चाहने वाले तथा सामाजिक मानदंडों के अनुसार अपने दैवीय कर्तव्य का निर्वहन करने वाले अभ्यर्थी के चरित्र का आकलन करने के लिए मापदंड बहुत ऊंचे होने चाहिए तथा किसी भी स्थिति में उन्हें कम नहीं किया जा सकता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि उत्कृष्ट है तथा वह सिविल जज कैडर में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति साबित हुआ है।

13) प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 2010 के नियमों के नियम 12 का भी उल्लेख किया है तथा कहा है कि अयोग्यता का आधार विज्ञापन तथा 2010 के नियमों में निर्धारित किया गया है। उक्त नियम को उपरोक्त पैरा में पहले ही पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है।

14) प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान 2010 के नियमों के नियम 19 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चरित्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इस प्रकार, चरित्र का स्वतंत्र मूल्यांकन नियोक्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने वाले कार्य को उसके पूर्ववृत्त/आपराधिक मामले/किसी अन्य आरोप के साथ सह-संबंधित किया जा सके। 2010 के नियमों का नियम 19 इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

> "19. चरित्र.- सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में रोजगार के लिए योग्य बनाए। उसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय के प्राचार्य शैक्षणिक अधिकारी से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की थी और ऐसे दो प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन की तिथि से छह महीने से अधिक पहले नहीं लिखे गए हों, दो जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित न हों और न ही उससे संबंधित हों।"

15) तत्पश्चात प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बनाम आकाशदीप मोरया एवं अन्य (2021) 14 एससीसी 567 में दिए गए निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिविल जज कैडर के पद पर भर्ती करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

23. इस तरह के मामले में हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि पद किस तरह का है। पदानुक्रम के किसी भी स्तर पर न्यायिक अधिकारी के पद के लिए सबसे सख्त मानकों को लागू करना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्पष्ट है। न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक का निर्वहन करता है, जो देश के लोगों से जुड़े विवादों का समाधान है। सर्वोच्च नैतिक आधार रखने वाले न्यायाधीश न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास बनाने में बहुत मदद करते हैं। वास्तव में, विज्ञापन में भी उम्मीदवार के चरित्र की आवश्यकता का उल्लेख है। चरित्र को केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाणित करने तक सीमित नहीं समझा जा सकता। उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में शामिल है और संविधान की योजना के तहत ऐसा करना सही भी है। हालांकि नियुक्ति का आदेश राज्य द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय की भागीदारी अनिवार्य रूप से संवैधानिक योजना में इसकी स्थिति से निकलती है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करे। 24. सिविल जज या मजिस्ट्रेट का पद सर्वोच्च महत्व का है, भले ही न्यायपालिका की पिरामिडनुमा संरचना में सिविल जज या मजिस्ट्रेट सबसे निचले पायदान पर हो। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में जितने भी मुकदमे चलते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुकदमे सबसे

निचले स्तर पर चलते हैं। बहुत से मामले अंततः उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंचते। सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/मजिस्ट्रेट के माध्यम से ही आम आदमी का सबसे ज्यादा संपर्क होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायिक अधिकारी की साख और पृष्ठभूमि के बारे में आम आदमी की धारणा महत्वपूर्ण है। हमने इन पहलुओं को मामले के तथ्यों पर आगे विचार करने के लिए केवल एक प्रस्तावना के रूप में उजागर किया है। दूसरे शब्दों में, सम्मानजनक बरी न होने की स्थिति में, आपराधिक मामलों में किसी अधिकारी की कथित संलिप्तता व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है।

16) प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि नियोक्ता द्वारा वस्तुनिष्ठ विचार किया गया है तथा इस विचार के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि याचिकाकर्ता को ऐसी नियुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें शामिल अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 120-बी, 341 तथा 384 के अंतर्गत आते हैं।

17) प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इस विलम्बित चरण में इस मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जब नियुक्तियां की जा चुकी हैं तथा भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, यहां तक कि उसके बाद एक वर्ष का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है तथा सभी चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न न्यायालयों में पदस्थापना दी जा चुकी है, जो राजस्थान न्यायिक सेवा के लिए है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि जब तक प्रत्यक्ष उपाय नहीं अपनाया जाता, प्रतिवादियों के लिए अपने पवित्र कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यक्तिगत चरित्र के उच्च स्तर को बनाए रखना बहुत कठिन होगा।

18) प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ऐसा कोई पद उपलब्ध नहीं है जिस पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी जा सके क्योंकि उपलब्ध पद 120 थे और 119 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की पेशकश की गई थी। इनमें से 5 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए इन 114 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि प्रशिक्षण के बाद 5 और अभ्यर्थी चले गए। इस प्रकार उनके पद भी रिक्त हो गए। इन 109 अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थी मातृत्व अवकाश पर हैं लेकिन उनके पदों को रिक्त पद नहीं कहा जा

सकता। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि रिक्त पड़े कुल पदों की संख्या 11 है और इनमें से 6 पद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे के अंतिम निर्णय के अधीन आरक्षित रखे गए हैं और 5 पदों को नई रिक्तियों के रूप में पुनर्निर्धारित किया गया है और नई भर्ती के लिए विज्ञापित किया गया है।

19) प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 27.12.2021 के परिपत्र की ओर आकर्षित किया है, जो आरक्षित सूची के संचालन से संबंधित है और विशेष रूप से, खंड 4 पर प्रकाश डाला है, जिसमें कहा गया है कि एक बार चयनित उम्मीदवार के शामिल होने के बाद, उस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद, इस्तीफे या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति को एक नई रिक्ति माना जाएगा और इसे केवल एक नई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जा सकता है। आरक्षित सूची में शामिल उम्मीदवारों का उस पद पर कोई अधिकार नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिपत्र के अनुसार, आरक्षित सूची ऐसे व्यक्ति पर काम नहीं कर सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कोई भी सीट किसी भी आगे की नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।

20) पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

21) यह न्यायालय उपर्युक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए इस तथ्य से अवगत है कि न्यायिक सेवा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किए जाने वाले कर्तव्य बहुत ही पवित्र प्रकृति के हैं और न्यायपालिका के लिए संविधान में परिकल्पित उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मापदंडों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। कानूनों की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए और गहन मूल्यांकन का पालन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण होने वाला उम्मीदवार/भर्ती संवैधानिक महिमा की कसौटी पर खरा उतरने में सक्षम हो, जो चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर प्रदान की गई है।

21.1 आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रश्न कानूनी बिरादरी के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, क्योंकि एक ओर यह नौकरी की आवश्यकता है, जहां सबसे अच्छे और साफ-सुथरे लोगों को लोक सेवक बनने का अवसर दिया जाना

चाहिए, वहीं दूसरी ओर, ऐसे कई युवा हैं, जो बिना किसी अच्छे कारण के विवाद में फंस जाते हैं और उच्च योग्यता होने के बावजूद लोक सेवक के रूप में राष्ट्र की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। पक्षों के वकीलों द्वारा उद्धृत पूर्ववर्ती कानून के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि फ़िल्टर उच्चतम क्रम का होना चाहिए ताकि नैतिक पतन और परिणामी दोषसिद्धि से जुड़े आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को बाहर किया जा सके। यहां एक ऐसा मामला है, जिसमें एक युवक, जो अपने लॉ कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट था, और उसने योग्यता योग्यता हासिल की है और साथ ही लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित भर्ती में परीक्षा भी पास की है। वह भर्ती होने का हकदार था, लेकिन उसे तब भी भर्ती से वंचित किया गया, जब उसने एफआईआर की जानकारी नहीं छिपाई थी। इस प्रक्रिया के समय प्रचलित एफआईआर की इस न्यायालय द्वारा जांच की गई है और वे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह दो पक्षों के बीच एक संपत्ति विवाद था जिसमें स्कूल की संपत्ति को विभाजित करने की मांग की गई थी और याचिकाकर्ता का परिवार स्कूल का मूल मालिक होने के नाते संपत्ति का 50% और स्कूल का प्रशासन भी शिकायतकर्ता पक्ष के साथ साझा करने के लिए आवश्यक था। जब लगाए गए आरोपों की गहन जांच की गई तो पाया गया कि वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे उसे भर्ती से अयोग्य ठहराया जा सके।

21.2 विवादित पंजीकृत सोसायटी का पुनर्गठन किया गया था और यह परिकल्पना की गई थी कि वे शैक्षणिक सोसायटी को एक साथ चला सकते हैं, लेकिन जैसा कि नियति को दर्शाया गया था, सोसायटी/शैक्षणिक संस्थान के संचालन में विवाद उत्पन्न हो गया और पक्षकार अनुबंध की शर्तों और बिक्री के समझौते पर अलग हो गए, जो उनके बीच मौजूद थे। याचिकाकर्ता विवाद के क्षेत्र में नहीं था, यह एक पारिवारिक संपत्ति थी, लेकिन संयुक्त संपत्ति विवाद के एक हिस्से के रूप में भी इसका उपभोग किया गया और परिणामस्वरूप, इसके परिणामस्वरूप दो एफआईआर संख्या 5/2021 और 249/2021 दर्ज की गईं। मोटे तौर पर, एफआईआर किसी भी तरह की नैतिक अधमता या याचिकाकर्ता की किसी भी तरह की विशिष्ट भागीदारी को नहीं दर्शाती हैं।

22) इस न्यायालय द्वारा पाँच कारकों पर विचार किया गया है। (क) पहला मामला जांच का है, जिसके लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से पता चलता है कि जांच गहनता से की गई है और याचिकाकर्ता के संबंध में

निष्कर्ष निकाला गया है, जिसके परिणामस्वरूप आरोपों में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं पाई गई। (ख) दूसरा मामला आरोप-पत्र का है। चूंकि नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसलिए कोई आरोप-पत्र नहीं है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को कभी आरोप-पत्र नहीं दिया गया। (ग) तीसरा मामला मुकदमा का है। जब आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, तो याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा कभी शुरू नहीं हुआ और इसलिए, याचिकाकर्ता ने अपने जीवन में किसी भी मुकदमे का सामना नहीं किया। (घ) चौथा मामला दोषसिद्धि का है।जब जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो किसी भी तरह की सजा का सवाल ही नहीं उठता। (ई) पांचवां मुद्दा सम्मानपूर्वक बरी होने का है। बरी होने और दोषसिद्ध होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जांच का नतीजा याचिकाकर्ता के पक्ष में था।

22.1 उपर्युक्त मुद्दों पर पहले से ही पूर्ववर्ती कानूनों में दोनों तरह से विचार किया जा चुका है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है और उन मामलों में भी जहां भर्ती किए गए उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का न्यायालय में फैसला सुनाया गया था।

23) यह न्यायालय उपरोक्त सभी विचारों पर विचार करते हुए पाता है कि सख्त मापदंडों पर भी, वर्तमान मामले में शामिल कोई भी एफआईआर या विवाद इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को प्रश्नगत नियुक्ति के साथ जारी न रखने के लिए राजी नहीं करेगा। इस न्यायालय द्वारा वैधानिक स्थिति की जांच की गई है। इस न्यायालय ने विज्ञापन और इस निर्णय में पुनः प्रस्तुत की गई शर्तों की जांच शुरू की, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यदि कोई दोषसिद्धि है और नैतिक अधमता का अपराध है, तो इसके परिणामस्वरूप अयोग्यता हो सकती है, जिसे विज्ञापन में विस्तार से बताया गया है। इस न्यायालय ने मौजूदा नियमों की भी जांच की है। 2010 के नियम बहुत स्पष्ट हैं और विज्ञापन के समान ही हैं, जिसमें केवल दोषसिद्धि और नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के आधार पर अयोग्यता की आवश्यकता होती है।

24) इस न्यायालय ने चरित्र के मुद्दे की जांच की है, जिसे 2010 के नियमों के नियम 19 के चारों कोनों के भीतर निर्धारित किया जाना है और यह समझते हुए कि चरित्र के मापदंड एक साधारण आपराधिक पूर्ववृत्त की तुलना में बहुत व्यापक हैं, यह न्यायालय खुद को यह मानता हुआ पाता है कि दी गई सामग्री में, जो रिकॉर्ड पर है, विवाद दो परिवारों के बीच एक संपत्ति विवाद या एक पारिवारिक विवाद था और शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता का

परिवार शामिल था, जो उसके दादा से शुरू हुआ और दस्तावेजों पर भी याचिकाकर्ता की भूमिका वर्ष 2017 के बाद पैदा हुई जब उसके दादा की मृत्यु हो गई और वह संबंधित समाज का हिस्सा बन गया।

25) इस न्यायालय को यह भी नहीं लगता कि प्रतिवादियों और याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई सामग्री याचिकाकर्ता के कद को कम कर सकती है, यहां तक कि उसे सिविल जज के रूप में भर्ती करने से भी रोक सकती है। यह न्यायालय इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसार प्रपत्र में सूचना दाखिल करते समय कुछ भी नहीं छिपाया है। यह न्यायालय पाता है कि कानून, संविधि परिपत्र और पूर्ववर्ती कानून के मानदंड कहीं भी इस बारे में संदेह की कोई छाया नहीं पैदा कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता सिविल जज के रूप में भर्ती होने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार था या नहीं।

26) इन दो मानदंडों पर 2010 के नियमों पर इस न्यायालय द्वारा गहनता से विचार किया गया है और निष्कर्ष यह निकला है कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो याचिकाकर्ता को सिविल जज के रूप में अपना प्रवेश करने से रोक सके। मानदंड, जो परिपत्र में हैं और जिन पर प्रतिवादियों ने विशेष रूप से नियुक्ति के लिए योग्यता और अयोग्यता के उद्देश्य से भरोसा किया है, वे भी प्रकृति में संपूर्ण हैं और याचिकाकर्ता के लिए किसी भी प्रकार की अयोग्यता को नहीं दर्शाते हैं।

26.1 समग्र कानूनी परिदृश्य में अयोग्यताओं में जांच, दोषसिद्धि, परीक्षण, आरोप-पत्र, अपराध दर्ज किए जाना शामिल है, लेकिन इनमें से कोई भी अयोग्यता वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स को नहीं छूती है क्योंकि याचिकाकर्ता पर न तो मुकदमा चलाया गया, न ही उसे दोषी ठहराया गया, न ही उस पर किसी तरह का मुकदमा चलाया गया और न ही कोई आरोप-पत्र दिया गया, बल्कि केवल एक आरोप था, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई और याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया।

26.2 इस प्रकार, कानून की किताब और परिपत्रों में सभी अयोग्यताओं को दूर करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा यह देखा जाना बाकी है कि उद्धृत पूर्ववर्ती कानून वर्तमान मामले में कितना प्रभाव डालेंगे। मोहम्मद के मामलों में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत पूर्ववर्ती कानून। इमरान, गजेंद्र

नारायण पाटीदार (सुप्रा) और रवींद्र कुमार (सुप्रा) के मामले में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि इस तरह के खतरनाक प्रकार के मुकदमों पर निर्णय लेते समय और भर्ती किए गए व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर दिए जाने वाले कर्तव्यों पर विचार करते समय न्यायालय को मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखना चाहिए, न्यायालय को यह तय करना होगा कि वह ऐसे पद के लिए उपयुक्त होगा या नहीं। इस न्यायालय ने इस तरह की गहन जांच के बाद पाया कि दो पक्षों के बीच संपत्ति विवाद जो एफआईआर में परिणत हुआ और फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गहन जांच के बाद पाया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान याचिकाकर्ता पर कोई भी अयोग्यता लागू नहीं होती है।

27) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आकाशदीप मोरया (सुप्रा) के मामले में निर्धारित पूर्ववर्ती कानून भी एक तरह से याचिकाकर्ता की मदद करता है क्योंकि यह केवल यह निर्धारित करता है कि जब व्यक्ति को सिविल जज के रूप में भर्ती करने पर विचार किया जा रहा हो तो आवेदन में एक बहुत मजबूत पैरामीटर होना चाहिए और आपराधिक पूर्ववृत्त/चरित्र के ऐसे मजबूत पैरामीटर को उत्तीर्ण किए बिना, किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के संवैधानिक कर्तव्यों की सेवा करने के लिए उम्मीदवार होने के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है। हम इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आकाशदीप मोरया (सुप्रा) के मामले में जो सख्त पैरामीटर हैं, वे भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नगत परीक्षा में भर्ती होने के लिए योग्य हैं।

28) जहां तक रिक्ति के प्रश्न का संबंध है, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की, जो नवंबर 2022 में उचित समय पर थी, जैसे ही हम व्यथित हुए, हमने पाया कि उस समय, वर्तमान भर्ती में रिक्तियां थीं। आज प्रतिवादियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भी, इस न्यायालय को पता चलता है कि 5 रिक्तियां हैं, जो इस्तीफों के कारण खाली रह गईं और उन्हें अगली भर्ती में आगे बढ़ाया गया, जो चल रही है, लेकिन अभी तक अंतिम परीक्षा के चरण तक भी नहीं पहुंची है और इस प्रकार, प्रारंभिक चरण में, इन रिक्तियों में से एक को ऐसे उम्मीदवार को दिया जा सकता है, जो अन्यथा योग्यता और कानून के आधार पर योग्य है।

29) यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान मामले में कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं है, लेकिन यह एक स्थापित कानून है कि ऐसे मामलों में, जहां मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश लागू है, वे

मामले में अंतिम निर्णय के अधीन हैं। यदि मामले को गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना खारिज कर दिया जाता है, तो अंतरिम आदेश, भले ही कोई हो, स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और यदि संबंधित वादी अपने मुकदमे में सफल होता है, तो अंतरिम आदेश, यदि है, तो अंतिम आदेश में विलीन हो जाता है, और इसलिए, यह स्पष्ट है कि अंतिम आदेश का महत्व न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के सभी संरक्षणों को वहन करता है और यदि न्यायालय अंतरिम आदेश नहीं भी दे रहा है, तो भी यह अंतिम निर्णय के समय मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करता है, यदि मामला वास्तविक है और वादी के अधिकार विधिपूर्वक स्थापित हैं।

29.1 यह न्यायालय इस बात से भी अवगत है कि एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवबिट का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्यायालय की कार्यवाही या न्यायालय के कार्यों के कारण किसी भी पक्ष को कष्ट नहीं उठाना चाहिए। जो मामले कई वर्षों से लंबित हैं और कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं है, तो ऐसे मामलों के गुण-दोष को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं था, और इसलिए न्याय के हित में ऐसे मामलों का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए और अंतरिम आदेश के लागू न होने से प्रभावित हुए बिना किया जाना चाहिए।

30) इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विधि के शासन की महिमा के लिए यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति बिना किसी देरी के समय पर न्यायालय में आया हो और जिसने बिना किसी चूक के अपने सभी विवरण प्रस्तुत किए हों और लंबे समय तक न्याय निर्णय के अंतर्गत रहा हो, उसे मामले के लंबित रहने के दौरान समय व्यतीत होने के आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। जब तक समय रहते न्यायालय में आने वाले व्यक्ति को न्यूनतम सुरक्षा कवच के तहत नहीं रखा जाता, तब तक विधि के शासन की अवधारणा कम होने की संभावना है, जिसकी अनुमति इस न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती।

31) उपर्युक्त कारणों से तथा लंबित मामलों को देखते हुए, अब समय आ गया है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को मजबूत किया जाए तथा समय बीतने के कारण ऐसे अधिकारों के कमजोर होने से बचाया जाए। इस प्रकार, यह न्यायालय यह सिद्धांत स्थापित करता है कि ऐसे मामलों में, जहां न्यायनिर्णयन लंबे समय से लंबित है तथा कोई अंतरिम आदेश लागू नहीं है, लेकिन अंतिम राहत कानून की नजर में कायम रहने के लिए पर्याप्त मजबूत

है, वहां लंबे समय तक लंबित रहने तथा लंबे समय तक न्यायनिर्णयन से न्याय के उद्देश्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो वादी(वादियों) ने अपने मामले के गुण-दोष के आधार पर अर्जित किया है। इस प्रकार, उसी विज्ञापन से उत्पन्न पांच पदों में से एक पद, जिसे अभी भरा जाना है तथा जो नई भर्ती के प्रारंभिक चरण में है, वर्तमान याचिकाकर्ता को दिया जाएगा।

32) रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाता है। ऐसी नियुक्ति से होने वाले सभी वास्तविक लाभ काल्पनिक प्रकृति के होंगे, हालांकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति और वरिष्ठता वर्ष 2021 के सिविल जज कैडर में तैयार समग्र योग्यता में उसकी योग्यता से संबंधित होगी। प्रतिवादियों के लिए याचिकाकर्ता का प्रशिक्षण 2024 के नए बैच के साथ आयोजित करना खुला होगा, जिसका प्रशिक्षण इस वर्ष के अंत में कभी भी आयोजित होने की संभावना है। तदनुसार नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सभी काल्पनिक लाभ नियुक्ति की तारीख से अर्जित होंगे जो याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से तीन महीने की अवधि के भीतर दिए जाएंगे। प्रतिवादियों को वर्ष 2024 के लिए चल रही नई भर्ती से ऐसी नियुक्ति के लिए एक सीट का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया से आगे बढ़ाया गया है।

33) सभी लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

(मुन्नुरि लक्ष्मण), जे (डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।